न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती पार्थवी, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 38 / 19

GCMS id : 2019 / 00054

1. रामभरोस पुत्र गोबरीलाल, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम दीपपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. राममूर्ति पुत्री गोबरीलाल, जाति मेघवाल, निवासिनी ग्राम सुहाना, तहसील दीगोद, जिला कोटा
3. कैलाश बाई पत्नी स्व. गोबरीलाल, जाति मेघवाल, निवासिनी ग्राम दीपपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
4. किशोरी पुत्री भवाना पत्नी बाला, जाति मेघवाल, निवासिनी ग्राम देवली अ:ब, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
5. पाना पुत्री भवाना पत्नी नन्दकिशोर, जाति मेघवाल, निवासी फाटाखेडा, उपतहसील मण्डाना, जिला कोटा

– (वादीगण)

बनाम

1. मांगीलाल मुतवन्ना देवा, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम दीपपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज०टी०ए०

उपस्थिति : श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा, अभिभाषक वादीगण

निर्णय

दिनांक : 22.12.2022

1- वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बावत विवादित आराजी पर स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया।

2- वादीगण की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि –

~ ग्राम दीपपुरा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 236, 378, 491, 503, 583 कुल किता 5 रकबा 4.72 हैक्टर वादीगण व प्रतिवादीगण के खाते दर्ज रिकार्ड है।

~ देवा जाति मेघवाल के कोई सन्तान न होने के कारण प्रतिवादी क्रम–1 मांगीलाल, देवा के गोद चला गया था तथा देवा के मकान पर ही रहता है इसलिये देवा के खाते की आराजी खसरा नम्बर 245, 246, 375, 490, 499, 731 कुल किता 6 रकबा 3.99 हैक्टर आराजी प्रतिवादी क्रम–1 के खाते दर्ज हो गई है।

~ प्रतिवादी क्रम–1 मांगीलाल के गोद चले जाने के कारण उनके पिता भवाना की भूमि में प्रतिवादी क्रम–1 के हक व अधिकार समाप्त हो गये है इस कारण भवाना के खाते की भूमि से प्रतिवादी क्रम–1 का नाम हटाया जाना आवश्यक हो गया है।

~ भवाना की भूमि में अपना नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी क्रम–1 उक्त भूमि को रहन, बेचान करके खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। इस कारण प्रतिवादी क्रम–1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना आवश्यक है।

~ प्रतिवादी क्रम–1 के अन्यत्र गोद चले जाने के बावजूद भी दिनांक 30.05.2009 को विवादित भूमि से अपना नाम हटाने से मना कर देने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ।

~ अतः वाद पेश कर निवेदन है कि ग्राम दीपपुरा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 236, 378, 491, 503, 583 कुल किता 5 रकबा 4.72 हैक्टर से प्रतिवादी क्रम–1 का नाम हटाये जाने की घोषणा की जावे तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

~ साथ ही प्रतिवादी क्रम–1 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अपना नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द, रहन, बेचान नहीं करे।

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

~ वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में ग्राम दीपपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्न दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित किये गये –

प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी संवत 2063–2066, खसरा 236, 378, 491, 503, 583

प्रदर्श–2 नकल जमाबन्दी संवत 2063–2066, खसरा 245, 246, 375, 490, 499, 731

3- प्रतिवादीगण की ओर से पेश जवाब दावा में वादपत्र के कथनों को अस्वीकार करते हुये निवेदन किया गया कि

≈ देवा की मृत्यु तो प्रतिवादी क्रम–1 मांगीलाल के जन्म से पहले ही हो चुकी थी जिससे देवा के यहॉ गोद जाने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता है।

≈ वास्तविकता यह है कि प्रतिवादी क्रम–1 ही देवा की पत्नी पारा की देखभाल करता था इस कारण पारा की मृत्यु के वाद पारा की भूमि प्रतिवादी क्रम–1 के खाते दर्ज की गई किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने गलती से प्रतिवादी क्रम–1 मांगीलाल को देवा का मुतवन्ना बता दिया जबकि प्रतिवादी क्रम–1 के राशन कार्ड व पहचान पत्र में प्रतिवादी क्रम–1 के पिता का नाम भवाना ही अंकित है जिससे प्रतिवादी क्रम–1 का देवा का गोदपुत्र होना सर्वथा असत्य होने से स्वीकार नहीं है।

≈ भवाना जी को उक्त आराजी अपने पिता सुक्खा से प्राप्त हुई थी जिससे प्रतिवादी क्रम–1 का भवाना की पैतृक आराजी में जन्म से ही अधिकार निहित है। भवाना के जीवनकाल में भी मांगीलाल का उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा दर्ज था।

≈ प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में विधि सम्मत रूप से लिखा गया है। इस कारण वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वादा वादीगण मियाद बाहर है। इस कारण वादीगण संयुक्त खाते की आराजी पर किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

4- वादपत्र तथा जवाब दावा के विवादित बिन्दुओं के तुलनात्मक विवेचनानुसार प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये –

(1) आया देवा के गोदपुत्र होने के कारण प्रतिवादी के विवादित आराजी पर से अधिकार समाप्त हो चुके है। – (वादीगण)

(2) आया प्रतिवादी देवा का गोदपुत्र नहीं है। – (प्रतिवादी)

(3) आया विवादित आराजी पैतृक होने के कारण प्रतिवादी का उसमें हिस्सा निहित है। – (प्रतिवादी)

5- *प्रकरण पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम सुनी गई –*

≈ वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम दीपपुरा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 236, 378, 491, 503, 583 कुल किता 5 रकबा 4.72 हैक्टर वादीगण व प्रतिवादीगण के खाते दर्ज रिकार्ड है। देवा के कोई सन्तान न होने के कारण प्रतिवादी क्रम–1 मांगीलाल, देवा के गोद चला गया था तथा देवा के मकान पर ही रहता है इसलिये देवा के खाते की आराजी खसरा नम्बर 245, 246, 375, 490, 499, 731 कुल किता 6 रकबा 3.99 हैक्टर आराजी प्रतिवादी क्रम–1 के खाते दर्ज हो गई है। प्रतिवादी क्रम–1 मांगीलाल के गोद चले जाने के कारण उनके पिता भवाना की भूमि में प्रतिवादी क्रम–1 के हक व अधिकार समाप्त हो गये है इस कारण भवाना के खाते की भूमि से प्रतिवादी क्रम–1 का नाम हटाया जाना आवश्यक है। अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर प्रतिवादी क्रम–1 उक्त भूमि को रहन, बेचान करके खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अतः निवेदन है कि ग्राम दीपपुरा की विवादित आराजी से प्रतिवादी क्रम–1 का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी क्रम–1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

6- प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त प्रकरण में कायम की गई तनकीयात निम्नानुसार तय की जाती है –

(1) *<u>आया देवा के गोदपुत्र होने के कारण प्रतिवादी के विवादित आराजी पर से अधिकार समाप्त हो चुके है।</u>*

° इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था।

° इस कथन को प्रमाणित करने के लिये यह सिद्ध करना आवश्यक होगा कि प्रतिवादी, देवा का गोदपुत्र है।

° इसके प्रमाण स्वरूप वादीगण ने प्रतिवादी क्रम–1 मांगीलाल के खाते दर्ज आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 245, 246, 375, 490, 499, 731 कुल किता 6 रकबा 3.99 हैक्टर की नकल जमाबन्दी संवत 2063–2066 (प्रदर्श–2) पेश

सहायक कलक्टर
न्यायालय) कोटा
ACM(HQ) Kota

की है जिसमें खातेदार का नाम मांगीलाल गोदपुत्र देवा अंकित है।

- इसके अतिरिक्त वादीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे मांगीलाल के गोद चले जाने का कथन प्रमाणित हो।
- प्रतिवादी की ओर से पेश राशन कार्ड व पहचान पत्र में भी प्रतिवादी क्रम–1 मांगीलाल के पिता का नाम भवानीलाल ही अंकित है।
- इस प्रकार प्रतिवादी मांगीलाल के गोदपुत्र चले जाने का कोई प्रमाण पेश नहीं किये जाने के कारण यह तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

(2) *आया प्रतिवादी देवा का गोदपुत्र नहीं है।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था।
- प्रतिवादी ने जवाब दावा में अंकित किया है कि देवा की मृत्यु, प्रतिवादी क्रम–1 मांगीलाल के जन्म से पहले ही हो चुकी थी तथा लाऔलाद मृत्यु हो जाने के कारण देवा की पत्नी पारा की देखभाल मांगीलाल द्वारा ही की गई परन्तु मांगीलाल को गोद नहीं लिया था।
- तनकी क्रम–1 के अनुसार गोदपुत्र होने का कोई प्रमाण पेश नहीं किये जाने के कारण यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

(3) *आया विवादित आराजी पैतृक होने के कारण प्रतिवादी का उसमें हिस्सा निहित है।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था।
- प्रतिवादी ने जवाब दावा में अंकित किया है कि विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम–1 के दादा सुखा के खाते दर्ज थी, जो बाद में भवान. के नाम दर्ज हुई तथा भवाना से यह आराजी प्रतिवादी क्रम–1 मांगीलाल के खाते दर्ज हुई।
- इस प्रकार दादा से प्राप्त आराजी होने के कारण विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम–1 मांगीलाल की पैतृक आराजी है।
- अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

7- प्रस्तुत प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त तनकीयात के उपरोक्तानुसार विश्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम दीपपुरा की आराजी खसरा नम्बर 236, 378, 491, 503, 583 कुल किता 5 रकबा 4.72 हैक्टर वादीगण व प्रतिवादीगण के खाते दर्ज है। वादीगण के कथनानुसार सहखातेदार मांगीलाल, देवा के गोद चला गया था। जिससे प्रतिवादी क्रम–1 के इस आराजी से हक व अधिकार समाप्त हो गये है। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने मांगीलाल के गोद जाने सम्बन्धी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। एक अन्य आराजी खसरा नम्बर 245, 246, 375, 490, 499, 731 मांगीलाल गोदपुत्र देवा के नाम दर्ज है किन्तु मांगीलाल के जन्म से पहले ही देवा की मृत्यु हो चुकी थी और कोई गोदनामा भी प्रकरण में पेश नहीं हुआ है। गोदनामा के अभाव में राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार बाधित होने के कारण वादी को चाहिये कि सिविल न्यायालय द्वारा गोदपुत्र घोषित करने के उपरान्त घोषणा सम्बन्धी वाद प्रस्तुत करे। विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम–1 की पैतृक आराजी होने से प्रतिवादी का उसमें हिस्सा निहित है तथा गोदपुत्र चले जाने सम्बन्धी कोई साक्ष्य पेश नहीं किये जाने से सिद्ध नहीं कर पाने के कारण वाद वादीगण अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

9- यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 22.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

22/12/22

(श्रीमती पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती पार्थवी, R.A.S.

बउनवान :–

1. रामभरोस पुत्र गोबरीलाल, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम दीपपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. राममूर्ति पुत्री गोबरीलाल, जाति मेघवाल, निवासिनी ग्राम सुहाना, तहसील दीगोद, जिला कोटा
3. कैलाश बाई पत्नी स्व. गोबरीलाल, जाति मेघवाल, निवासिनी ग्राम दीपपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
4. किशोरी पुत्री भवाना पत्नी बाला, जाति मेघवाल, निवासिनी ग्राम देवली अरब, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
5. पाना पुत्री भवाना पत्नी नन्दकिशोर, जाति मेघवाल, निवासी फाटाखेडा, उपतहसील मण्डाना, जिला कोटा

– (वादीगण)

बनाम

1. गांगीलाल मुतवन्ना देवा, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम दीपपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 38 / 19
निर्णय दिनांक : 22-12-2022

GCMS id : 2019 / 00054

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री चन्द्रमोहन शर्मा की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 22–12–2022 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती पार्थवी, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम–1 की पैतृक आराजी होने से प्रतिवादी का उसमें हिस्सा निहित है तथा गोदपुत्र चले जाने सम्बन्धी कोई साक्ष्य पेश नहीं किये जाने से सिद्ध नहीं कर पाने के कारण वाद वादीगण अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

* खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई / टंकित करावाई जाकर आज तारीख 22 दिसम्बर, 2022 को न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(श्रीमती पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्चे

वादी		रूपया	प्रतिवादी		रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		